# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

**राजस्व प्रकरण संख्या :– 137/2020** **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00078**
**दायर दिनांक :– 05.11.2020** **निर्णय दिनांक :– 13.08.2025**

01. नारायणराम पुत्र खींयाराम जाति मेगवाल निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
02. धीराराम पुत्र खींयाराम जाति मेगवाल निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
03. शेराराम पुत्र नीम्बाराम जाति मेगवाल निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
04. कानाराम पुत्र नीम्बाराम जाति मेगवाल निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
05. हनुमानराम पुत्र नीम्बाराम जाति मेगवाल निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
06. लूणाराम पुत्र नीम्बाराम जाति मेगवाल निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
07. मोहनी पत्नी निम्बाराम जाति मेगवाल निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
08. चिमाराम पुत्र हुकमाराम जाति मेगवाल निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
09. पपूराम पुत्र हुकमाराम जाति मेगवाल निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. मेती पत्नी हुकमाराम जाति मेगवाल निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

**वादीगण**

**बनाम**

1. नारायणराम पुत्र दौलाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. धापू पत्नी अलसाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. बालूराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. मोहनराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. धनाराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. हडमानराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. तुलछाराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

**प्रतिवादीगण**

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**उपस्थित :–1.** श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. प्रार्थीगण
**2** श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थीगण

## –:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। खसरा नम्बर 154 रकबा 87–14 बीघा व अन्य खसरा नम्बर ग्राम चिमाणा तहसील घंटियाली में स्थित है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता प्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 व 8, 9 के दादा एवं प्रार्थीगण संख्या 7 व 10 के ससुर खीया वल्द राजू

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

2020/00078 16-12-2020 12/01/21

कौम चमार अनुसूचित जाति से है और प्रार्थीगण के भी जाति प्रमाण पत्र भी अनुसूचित जाति से बने हुवे है और कानूनन अनुसूचित जाति के नाम दर्ज भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही हो सकता है। अनुसूचित जाति के नाम दर्ज भूमि अगर कोई अनुसूचित जाति के अलावा व्यक्ति खरीद लेता है तो उक्त विकय पत्र शुरू से ही शून्य एवं बेअसर होता है। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति से है और अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 2 के ससुर एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 7 के दादा कोलाराम पुत्र रूपाराम ने पटवारी हल्का से मिलावट कर खसरा नम्बर 154 रकबा 87–14 बीघा भूमि का सरासर गलत रूप से बेचान बताकर नामान्तरकरण संख्या 53 मौजा चिमाणा के जरिये अपने नाम दर्ज करवाली जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। खीयाराम ने अपने जीवन काल में कोलाराम को कभी भी अपने नाम दर्ज भूमि का बेचान नहीं किया और न ही ऐसा कोई बेचाननामा प्रभाव में ही है और न ही कभी भी खींयाराम अपने नाम दर्ज भूमि का बेचान करने के लिए तहसील कार्यालय ही गये। नामान्तरकरण संख्या 53 मौजा चिमाणा सरासर गलत एवं विधि विरूद्व एवं प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व शुरू से ही बेअसर एवं शून्य है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की जारी जावे कि उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के चले आ रहे कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावे। जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता करणीसिंह राठौड़ ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना–पत्र जमाबंदी, नामान्तरकरण, खतोनी बन्दोबस्त इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

**प्रथम दृष्टया मामला**

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगरस्त भूमि की खतोनी बन्दोबस्त, नामान्तरकरण संख्या 53 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खीया वल्द राजु कौम चमार सा. देह दर्ज थी। नामन्तरकरण संख्या 53 के जरिये

13/8/21
...कलक्टर
...(फलोदी)

कोलाराम कौम जाट सा धिमाणा के नाम दर्ज है उक्त नामान्तरकरण जरिये बेचान भरा जाक स्वीकृत किया गया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में द है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा बनाता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में तय किया जावेगा। अगर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अधिक नुकसान होगा। अत न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

## सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अधिक नुकसान कारित होगा। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

## अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## –:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

13/8/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)